

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF
THE DEMOCRATIC AND POPULAR REPUBLIC OF
ALGERIA ON CULTURAL COOPERATION

The Government of the Republic of India
and

The Government of the Democratic and Popular
Republic of Algeria,

INSPIRED BY a common desire to establish and
develop closer cultural relations,

AND DESIROUS of promoting and developing in every
possible manner such relations in the fields of culture,
art, education including academic activity in the field
of science and technology, sports, public health and
mass media, with due regard to their sovereign equality
and to the principle of non-interference in the internal
affairs of the other country,

HAVE DECIDED to conclude an Agreement on Cultural
Cooperation and have agreed on the following:

ARTICLE I

The Contracting Parties shall facilitate and
encourage cooperation between the two countries in the
fields of education including academic activity in the
field of science and technology, art and culture, mass
media and sports in order to contribute to a better
knowledge of their respective cultures and their
intellectual activities.

ARTICLE II

Each of the Contracting Parties shall encourage
and facilitate:

1. Exchange:

- i) of visits of specialists/professors for
delivering lectures and conducting special
courses;

- ii) of books, publications and other materials in the fields of education, art and culture and translation of literary and other publications of each other's country;
 - iii) of artistes and performing groups;
 - iv) of art exhibitions;
2. Collaboration between educational and cultural organisations of each other's country;
 3. Cooperation between Youth organizations;
 4. Participation of the representatives of the other country in conferences, symposia and seminars in the field of education, art and culture held in each of the two countries.

ARTICLE III

Each of the Contracting Parties shall endeavour to provide facilities and scholarships for study and specialization to the nationals of the other country in its institutions of higher and specialized education. The beneficiaries of scholarships shall be selected by competent authorities of the two Governments and shall be governed by the regulations in force of the host country.

ARTICLE IV

The Contracting Parties shall encourage cooperation in the fields of radio, television, press and films.

Details of such cooperation shall be worked out through a special protocol between the concerned organizations of the two countries.

ARTICLE V

The Contracting Parties shall encourage and facilitate in the spirit of the present Agreement, cooperation between their national organizations dealing with cultural activities.

ARTICLE VI

The Contracting Parties shall examine all the possibilities for mutual recognition and equivalence of degrees, diplomas and certificates awarded by the universities and other educational institutions in the two countries in accordance with the laws prevailing in each other's country.

ARTICLE VII

Each of the Contracting Parties shall encourage and support, to the extent possible, the study of history, culture and languages of the other country.

ARTICLE VIII

Each Contracting Party shall facilitate, to the extent possible, the inclusion of exact and precise information about the civilization of the other country in the text books of history and geography prescribed in the educational institutions.

Each Contracting Party shall consider any suggestion made by the other Contracting Party trying to rectify errors of facts or of judgement which such text books may contain.

ARTICLE IX

Each of the Contracting Parties undertakes to promote an adequate and effective protection of the rights of authors and other copyright proprietors of literary, scientific and artistic works of the other country, in accordance with the laws in force in their respective countries.

ARTICLE X

Each Contracting Party shall facilitate the setting up by the other Contracting Party or by the two Parties in its territory, of cultural institutes or friendship associations devoted to educational and cultural pursuits in accordance with its laws, regulations and general policy in this regard.

It is understood by both the Contracting Parties that a prior clearance of the Government concerned would be obtained before any such institutions are established in pursuance of this Agreement.

ARTICLE XI

The Contracting Parties shall promote mutual collaboration in the field of public health and examine the possibilities of exchange of experience and information.

Details of cooperation shall be worked out through a Special Protocol.

ARTICLE XII

For the implementation of the present Agreement, a Joint Committee shall be set up. This Committee shall comprise an equal number of representatives from both the countries and it shall meet at least once in every two years, alternately at Algiers and New Delhi.

The Joint Committee shall be responsible for keeping under periodical review the working of the Agreement in the two countries and formulating educational and cultural exchange programmes. It shall advise the Governments concerned as to the manner in which the working of the Agreement could be improved upon.

ARTICLE XIII

Any difference arising from the interpretation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

ARTICLE XIV


The present Agreement shall be subject to approval by the Contracting Parties in accordance with their procedures. It shall come into force on the date of exchange of diplomatic notes concerning such approval.

The present Agreement shall remain in force for a period of five years. It shall be automatically renewed thereafter for every subsequent five year period, unless either of the Contracting Parties gives at least six months notice in writing to the other Party of its intention to terminate the Agreement.


IN WITNESS WHEREOF the representatives of the two countries duly authorised by their respective Governments have signed this Agreement and affixed thereto their seals.

DONE (in duplicate) at Algiers on this the 11th day of Jyaistha 1898 (Saka) corresponding to the 3rd day of Jumada 1396(H) and the 1st day of June 1976 (A.D.) in Hindi, Arabic, English and French Languages, the four texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA

X 

YESHWANTRAO BALWANTRAO CHAVAN
Minister of External Affairs

FOR THE GOVERNMENT OF
THE DEMOCRATIC AND
POPULAR REPUBLIC OF
ALGERIA 

ABDELAZIZ BOUTEFLIKA
Minister of External Affairs

भारत गणराज्य की सरकार और अल्जीरिया की जनतंत्रात्मक
तथा लोकप्रिय गणराज्य की सरकार के बीच सांस्कृतिक
सहकारिता करार

भारत गणराज्य की सरकार

और

अल्जीरिया की जनतंत्रात्मक तथा लोकप्रिय गणराज्य की सरकार
ने,

घनिष्ठतर सांस्कृतिक संबंध स्थापित एवं विकसित करने
की सामान्य इच्छा से प्रेरित होकर,

दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के
सिद्धान्त और उनकी प्रभुसत्ता की सम्मानता का उचित सम्मान करते
हुए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, खेल, जनस्वास्थ्य तथा जनसाधन के क्षेत्र
में शैक्षिक कार्यकलाप सहित संस्कृति, कला, शिक्षा के क्षेत्रों में ऐसे संबंधों
की हर संभव तरीके से संप्रवर्तित और विकसित करने की इच्छा से,

सांस्कृतिक सहकारिता पर एक करार करने का निर्णय
लिया है और निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद - I

संविदाकारी पक्षकार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कला और
संस्कृति, जनसाधन तथा खेलों के क्षेत्र में शैक्षिक कार्यकलाप सहित,
शिक्षा के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहकारिता की सुकर बनाएंगे
तथा बढ़ावा देंगे, ताकि वे अपनी-अपनी संस्कृति और बौद्धिक
कार्यकलापों की बेहतर जानकारी के लिये योगदान दे सकें ।

अनुच्छेद - II

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित को प्रोत्साहित
करेगा और सुकर बनाएगा :

1. विनिमय :

- (1) लेखर देने और विशेष पाठ्यक्रमों का
आयोजन करने के लिये विशेषज्ञों/प्रोफेसरों
के दौरों का ;

(ii) शिक्षा, कला और संस्कृति के क्षेत्रों में, पुस्तकों, प्रकाशनों और अन्य सामग्री का तथा एक दूसरे देश की साहित्यिक तथा अन्य प्रकाशनों के अनुवाद का ;

(iii) नर्तक तथा अभिनय मण्डलियों का ;

(iv) कला प्रदर्शनियों का ।

2. एक दूसरे देश के शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठनों के बीच सहयोग ;
3. युवा संगठनों के बीच सहकारिता ;
4. दोनों में से प्रत्येक के देश में शिक्षा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में आयोजित सम्मेलनों, संगोष्ठियों तथा सेमिनारों में दूसरे देश के प्रतिनिधियों का भाग लेना ।

अनुच्छेद - III

प्रत्येक सँविदाकारी पक्षकार, दूसरे देश के राष्ट्रकों को अपनी उच्च तथा विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन और विशेषज्ञता के लिये सुविधाएँ और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने का प्रयास करेगा । छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने वाले अध्येताओं का चयन दोनों सरकारी के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा और आतिथिय देश में लागू विनियमों द्वारा अभिशासित होंगे ।

अनुच्छेद - IV

सँविदाकारी पक्षकार रेडियो, टेलीविजन, प्रेस तथा फिल्मों के क्षेत्रों में सहकारिता को बढ़ावा देंगे ।

ऐसी सहकारिता के ब्यौरे दोनों देशों के संबंधित संगठनों के बीच विशेष प्रोटोकॉल के माध्यम से तैयार किए जाएंगे ।

अनुच्छेद - V

सँविदाकारी पक्षकार वर्तमान करार की भावना के अनुस्यू सांस्कृतिक कार्यकलापों से संबंधित अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे तथा सुकर बनाएँगे ।

अनुच्छेद - VI

संविदाकारी पक्षकार प्रत्येक देश में प्रचलित कानूनों के अनुसार दोनों देशों के विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई डिग्रियों, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता और समतुल्यता की संभावनाओं की जांच करेंगे ।

अनुच्छेद - VII

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, दूसरे देश के इतिहास, संस्कृति तथा भाषा के अध्ययन को यथासंभव प्रोत्साहित करेगा तथा सहायता करेगा ।

अनुच्छेद - VIII

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, दूसरे देश की संस्कृति के विषय में सही तथा ठीक-ठीक बातों को अपने देश की शिक्षा संस्थाओं में निर्धारित इतिहास तथा भूगोल की पाठ्यपुस्तकों में शामिल करने को यथासंभव सुकर बनाएगा ।

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार, ऐसी पाठ्यपुस्तकों में दिस गए कोई तथ्य अथवा फैसलों के संबंध में अशुद्धियों को ठीक करने के बारे में दूसरे पक्षकार के किसी भी सुझाव पर विचार करेगा ।

अनुच्छेद - IX

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार दूसरे देश के लेखकों तथा साहित्य के अन्य कापीराइट के स्वामित्व, वैज्ञानिक तथा कलात्मक कृतियों संबंधी अधिकारों को अपने-अपने देश के विद्यमान कानूनों के अनुसार, पर्याप्त तथा कारगर संरक्षण को प्रोत्साहित करेगा ।

अनुच्छेद - X

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार अपने-अपने क्षेत्र में अन्य संविदाकारी पक्षकार या दोनों संविदाकारी पक्षकारों द्वारा शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में रत सांस्कृतिक संस्थाओं अथवा मैत्री संस्थाओं की स्थापना को इस संबंध में अपने-अपने कानूनों, विनियमों तथा सामान्य नीति के अनुसार सुकर बनाएगा ।

दोनों संविदाकारी पक्षकारों द्वारा यह मान लिया जाता है कि इस करार के अनुसरण में किसी संस्था की स्थापना से पहले

संबंधित सरकार से पूर्व अनुमति ले ली जाएगी ।

अनुच्छेद - XI

संविदाकारी पक्षकार जन-स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपसी सहयोग की प्रोत्साहित करेगा और अनुभव तथा सूचना के विनिमय की संभावनाओं की जांच करेगा ।

एक विशेष प्रोटोकॉल के जरिए सहयोग संबंधी ब्यौरे तैयार किए जाएंगे ।

अनुच्छेद - XII

वर्तमान करार की कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी । इस समिति में दोनों देशों के प्रतिनिधि समान संख्या में शामिल होंगे तथा इस समिति की बैठक प्रत्येक दो वर्षों में कम से कम एक बार, बारी-बारी से नई दिल्ली तथा अल्जियर्स में होगी ।

संयुक्त समिति, दोनों देशों में करार के कार्यक्रम का आवधिक पुनर्विलोकन करने तथा शैक्षिक और सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तैयार करने के लिए, जिम्मेदार होगी । समिति संबंधित सरकारों की करार के कार्यक्रम की सुधारने की रीति के बारे में भी सलाह देगी ।

अनुच्छेद - XIII

इस करार की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी मतभेद की राजनयिक माध्यमों से तय किया जायेगा ।

अनुच्छेद - XIV

वर्तमान करार संविदाकारी पक्षकारों के अनुमोदन की शर्त पर उनकी कार्य-प्रणालियों के अनुसार होगा । यह इस प्रकार के अनुमोदन से संबंधित राजनयिक आलेखों के विनिमय की तारीख से लागू होगा ।

वर्तमान करार पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा । इसके बाद जब तक कि कोई भी संविदाकारी पक्षकार अन्य पक्षकार की करार की अवसित करने के लिए अपने आशय की लिखित रूप में

कम से कम छः महीने की पूर्व सूचना न दे, प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के लिए यह स्वतः ही नवीकृत हो जायेगा ।

जिसके साक्ष्य में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने, अपनी-अपनी सरकार द्वारा विशिष्ट प्राधिकृत किए जाने पर, इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं और उस पर अपनी-अपनी मोहरें लगाई हैं ।

आल्जियर्स में 1898 (शक) के ज्येष्ठ माह के 11 वे दिन, तदनुसार, 1398 (हिजरी) के जुमादा माह के तीसरे दिन तथा 1976 (ईसवी सन्) के जून माह के पहले दिन हिन्दी, अरबी, अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषाओं में (दो-दो प्रतियों में) किया गया, चारों पाठ समानतः प्रमाणित होंगे ।

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

X *शिवान चव्हाण*
यशवंतराव चव्हाण

अल्जीरिया जनतंत्रात्मक तथा लोकप्रिय
गणराज्य की सरकार की ओर से

M. F.
अब्दुल अजीज
बुसाफ्लिका